

न्यायालय- श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक 486 /2024

टीकमगढ़ दिनांक- 01.08.2024

--: **विविध आदेश** : --

माह अगस्त 2024 में सार्वजनिक अवकाश होने से निम्नांकित दिनाकों में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा न्यायालय टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा एवं ओरछा में आवश्यक कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी) सार्वजनिक अवकाश में, दोपहर 3 से 5 के मध्य संपादित की जायेगी :-

क्र०	पीठासीन अधिकारी का नाम	माह अगस्त 2024 की तिथियां
<u>न्यायालय टीकमगढ़</u>		
1	श्री अरविन्द सिंह, जेएमएफसी टीकमगढ़	17
2	श्री प्रदीप सोनी, जेएमएफसी टीकमगढ़	18
3	श्री संगम सिंह, जेएमएफसी टीकमगढ़	4
4	सुश्री रिषु भगत, जेएमएफसी टीकमगढ़	19
5	श्रीमती नूतन रावते, जेएमएफसी, टीकमगढ़	25
6	श्री मुदित लटौरिया, जेएमएफसी, टीकमगढ़	15, 27
7	सुश्री जया दीक्षित, जेएमएफसी, टीकमगढ़	11
<u>न्यायालय निवाड़ी</u>		
1	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, जेएमएफसी निवाड़ी	4, 27
2	श्री मनीष छापेरिया, जेएमएफसी निवाड़ी	18, 19
3	सुश्री के. शिवानी, जेएमएफसी निवाड़ी	11, 17
4	सुश्री सोनल वर्मा, जेएमएफसी निवाड़ी	15, 25
<u>न्यायालय जतारा</u>		
1	श्रीमती संगीता डावर मोर्य, जेएमएफसी जतारा	4, 25
2	सुश्री विजया भारती यादव, जेएमएफसी जतारा	15, 17
3	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी, जेएमएफसी जतारा	11, 27
4	श्री नारायण यादव, जेएमएफसी जतारा	18, 19
<u>न्यायालय ओरछा</u>		
1	श्री राघवेन्द्र पटेल, जेएमएफसी ओरछा	4, 11, 25, 27
2	श्री उपमन्यु शुक्ल, जेएमएफसी ओरछा	15, 17, 18, 19

01/08/2024

नोट:-

1. किसी मजिस्ट्रेट के शासकीय कार्य में जाने, विशेष आवश्यक आकस्मिक अनुपस्थिति/ अवकाश अथवा उक्त अवधि में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में उनकी रिमांड ड्यूटी, उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
2. उपरोक्त माह में यदि किसी पूर्व निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो, परिवर्तित अवकाश तिथि में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे, जिनकी पूर्व निर्धारित अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी निर्धारित की गयी है, जिसके स्थान पर अवकाश का परिवर्तन किया गया है।
3. उपरोक्त माह में किसी भी प्रकार के आकस्मिक अवकाश घोषित किये जाने की दशा में मुख्यालय टीकमगढ़ में सुश्री रिशु भगत, जेएमएफसी, जतारा में श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी, जेएमएफसी निवाड़ी में सुश्री सोनल वर्मा, जेएमएफसी व ओरछा में श्री राघवेन्द्र पटेल, जेएमएफसी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
4. अपरिहार्य कारण को छोड़कर रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परिवर्तन होने की दशा में जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित की जाना है, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय पर उपस्थित अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उनके द्वारा, रिमाण्ड ड्यूटी की जाने के संबंध में सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुमति उपरांत रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन करेंगे।
5. सार्वजनिक अवकाश में आवश्यक रूप से कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा एवं ओरछा में उपस्थित रहेंगे।
6. विशेष परिस्थितियों में निवाड़ी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर ओरछा में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ओरछा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर निवाड़ी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य निष्पादित करेंगे तथा जतारा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर टीकमगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन करेंगे।


श्रीमती सपना पोर्ते
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0